

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट मल्लाना)

वाद संख्या :- 02/55/2013

कब्बूदान बनाम रामदयाल वगैरा
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट

दिनांक 17.05.2018



आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट मल्लाना पर पेश हुई। वकूलाय उपस्थित है। प्रकरण में वकूलाय द्वारा आराजी हाल विवादित खसरा नम्बर 224/0.01 गैर मुमकिन चाह वाके ग्राम सिटावट तहसील राजगढ की मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु दोनों ही पक्षों को दावे के निर्णय तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने पर सहमति दी गई।

हस्ब सहमति वकूलाय हाल विवादित खसरा नम्बर 224/0.01 गैर मुमकिन चाह वाके ग्राम सिटावट तहसील राजगढ की दावे के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु दोनों ही पक्षकारान को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुए कार्यवाही प्रकरण ड्रॉप की जाती है। निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 कैम्प कोर्ट मल्लाना पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति संलग्न मूलवाद हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट मल्लाना)